महत्वपूर्ण

संख्या-01/**2025**/116/90-**सं0शि0प0का**0/2025-01(**निधन**)/2025

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक- 18 फरवरी, 2025**

विषय-वर्तमान/भूतपूर्व माननीय सांसद एवं माननीय सदस्य, विधान मण्डल के निधन की सूचना ससमय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश सं0-775 (3)/तीन-2006-28(2)-2001 दिनांक-11-10-2006 तथा संसदीय कार्य विभाग के पत्र सं0-222(1)/90-सं0शि0प0का0-2015-04(सं0शि0/2015, दिनांक-07, अक्टूबर 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-11-10-2006 में संसद तथा विधान मण्डल के वर्तमान/भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन की सूचना 48 घंटे के भीतर संबंधित माननीय सदन को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है, किन्तु स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी माननीय सदस्यों के निधन की सूचनायें समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कतिपय जनपदों से निधन की सूचनायें अत्यधिक विलम्ब से माननीय सदन को प्रेषित की गयी हैं, जो कि अत्यंत खेदजनक है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्तमान/ भूतपूर्व माननीय सांसद एवं माननीय सदस्य विधान सभा/विधान परिषद के निधन की सूचना, निधन की तिथि, स्थान एवं माननीय सदस्य के निकट संबंधियों के नाम व पते आदि की सूचना सहित प्राथमिकता के आधार पर 48 घंटे के भीतर यथास्थिति लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय तथा विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा इसमें शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-01/2025/116(1)/90-सं0शि0प0का0/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गौरव कुमार

विशेष सचिव एवं

अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।